

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

किस्त मुकदमा

उपलब्धता मुकाम

काल

नोटिफिकेशन आदि

क्रमांक, 00103, 188 अरु 187

संख्या 42/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत जज	नियम न तारीख अहकाम जो उस हुकम की तारीख में जारी हुए
11/4/19	जवाब देते रहि रहने से निवासीगण को नोटिफिकेशन नमूना नं० 1716/19 के प्रेषण के लिए	
17/6/19	एड कोर्ट वादी उपलब्धता निवासीगण की तरफ से नोटिफिकेशन नमूना नं० 610/19 के प्रेषण के लिए	
6/10/19	एड कोर्ट वादी उपलब्धता निवासीगण की तरफ से नोटिफिकेशन नमूना नं० 2110/19 के प्रेषण के लिए	
21/10/19	एड- वादी उपलब्धता निवासीगण की तरफ से नोटिफिकेशन नमूना नं० 26/12/19 के प्रेषण के लिए	
26/12	एड. वादीगण प्रतिकक्षा नमूना नं० 20 का प्रेषण के लिए	
20/2/20	एड- वादी उपलब्धता निवासीगण की तरफ से नोटिफिकेशन नमूना नं० 14/5/20 के प्रेषण के लिए	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

13/12/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/12/24 को पेश है
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

29/10/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/10/24 को पेश है
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

31/12/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/12/24 को पेश है
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

18/12/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/24 को पेश है
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

21/1/25

इस याचने अर्थात् अर्थात् दायर व कार्रवाई
अर्थात् के माध्यम से दिनांक 12/1/25 को
पेश है

12/1/25

सकल प्रश्न हुआ कि पीठासीन न्यायाधीश
वादीगण को न्यायाधीश होना है
कार-2 का कार्य कराया गया है और
भी-उपाय नही। किन्तु वादीगण
पुनः वादी व लक्ष्य वर्गीकरण की कदम
होना है कदम लेना है जो लक्ष्य
विषय में गारंटी है अर्थात् उपाय
होना नही है कदम हो 1/1/25